न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08 / 2021

अपीलार्थी

1. श्रीमती सावित्रीदेवी पत्नि स्व. श्री सुरेशसिंह जाति राजपूत निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री भगवंतसिंह पुत्र स्व. श्री सुरेशसिंह जाति राजपूत निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री अभिमन्युसिंह पुत्र स्व. श्री सुरेशसिंह जाति राजपूत निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रपुरी अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. तहसीलदार (पेरोकार राज.)

निर्णय दिनांक : 14.06.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 923 दिनांक 20.11.1983 के विरूद्ध दिनांक 07.04.2021 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा झाडौली पटवार हल्का झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 1476 रकबा 5.05 बीघा किस्म बारानी भूमि आई हुई थी। यह है कि [illegible] के ससुर श्री किशोरसिंह पुत्र श्री भोमसिंह जाति राजपू[illegible] जिला सिरोही को उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा दिनांक [illegible]1983 राजस्व अभियान कैम्प झाडौली में खसरा संख्या 1476 रकबा 03 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ हेतु आवंटन कि[illegible] पर श्री किशोरसिंह काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। यह है कि अपील[illegible] ससुर श्री किशोरसिंह इसी विश्वास में रहे कि आवंटितशुदा कृषि आराजी का नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दर्ज हो चुका होगा। यह है कि श्री किशोरसिंह की मृत्यु सन् 2000 में हो गई एवं श्री किशोरसिंह के एक पुत्र था जिनकी मृत्यु सन् 1994 में हो चुकी थी, जिससके उसकी मृत्यु के पश्चात एक मात्र वारिसदार अपीलांटगण पुत्रवधु व पौत्र है, जो आवंटितशुदा आराजी पर बेरोकटोक शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। यह है कि अपीलांटगण को जानकारी होने पर कि आवंटितशुदा कृषि आराजी पर नामान्तकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिस पर अपीलांट ने कई बार राजस्व अधिकारियों को नामान्तकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर दिनांक 25.04.2018 को जिला कलक्टर सिरोही एवं तहसीलदार पिण्डवाडा को मय दस्तावेज के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आंवटितशुदा आराजी का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। यह है कि दिनांक 08.02.2021 को स्वयं अपीलांट श्रीमती सावित्रीदेवी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार पिण्डवाडा के समक्ष उपस्थित होकर मय दस्तावेज के नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया, जिस पर रेस्पोडन्ट द्वारा पटवारी हल्का से जांच करवाई गई एवं जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी श्री किशोरसिंह के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 923 दिनांक 02.06.1983 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.11.1983 को कर इन्द्राज सही पाया गया एवं वास्ते स्वीकृति हेतु तहसीलदार पिण्डवाडा को प्रस्तुत किया लेकिन रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी आधार के यह लिखकर कि रकबे से अधिक कई व्यक्तियों के आवंटन होने से नामान्तकरण को अस्वीकृत किया गया, जो सर्वथा विधि विरूद्ध व कानूनन सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अपीलांट अपने ससुर श्री किशोरसिंह की मृत्यु के पश्चात से उक्त आवंटितशुदा आराजी पर आज दिन तक काबिज है, जिसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण को अस्वीकृत किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 923 दिनांक 20.11.1983 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। यह है कि रकबे से अधिक कई व्यक्तियों को आवंटन होने से उक्त नामान्तकरण संख्या 923 को अस्वीकृत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि झाडौली पटवार हल्का झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 1476 रकबा 5.05 बीघा किस्म बारानी 1 कृषि भूमि आई हुई है जो राजस्व रिकार्ड में सरकार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सहायक जिलाधीश सिरोही द्वारा राजस्व अभियान कैम्प झाडौली में दिनांक 15.02.1983 को उक्त विवादित खसरा संख्या 1476 रकबा 5.05 बीघा भूमि में से कुल 3.00 बीघा भूमि श्री किशोरसिंह वल्द भोमसिंह कौम राजपूत सा. देह गैर खातेदार के नाम आवंटित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

की थी। इस सम्बन्ध में श्री किशोरसिंह वल्द भोमसिंह कौम राजपूत के नाम पटवार हल्का झाडौली द्वारा दिनांक 02.06.1983 को नामान्तकरण दर्ज किया गया, जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा वास्ते जांच दिनांक 20.11.1983 को सही पाया गया, परन्तु तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा यह अंकन करते हुए उक्त नामान्तकरण को अस्वीकृत किया गया है कि रकबे से अधिक कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया है। यह है कि किसी भी व्यक्ति को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन होती है एवं वह व्यक्ति उस भूमि पर काश्त नहीं करता है तो तहसीलदार को उक्त आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिए थी, परन्तु इस प्रकरण में तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उक्त नामान्तरकरण को ही इस टिप्पणी के साथ अस्वीकृत किया गया है कि रकबे से अधिक कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्री किशोरसिंह को उक्त विवादित खसरा संख्या 1476 रकबा 5.05 बीघा में से कुल 03.00 बीघा भूमि आंवटन हुई थी, तो अधीनस्थ न्यायालय को श्री किशोरसिंह वल्द श्री भोमसिंह कौम राजपूत को आवंटन की गई कुल 03.00 भूमि का नामान्तकरण दर्ज करना चाहिए था, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करते हुए उक्त नामान्तरकरण को ही अस्वीकृत कर दिया गया, जो कानूनन परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी उक्त विवादित भूमि पर आवंटन से लेकर आज तक काश्त करते आ रहे है, इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की, जो तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/702 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा भेजी गई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित खसरा संख्या 1476 की कुल 5.05 बीघा भूमि में से 02.00 बीघा भूमि पर अंग्रेजी बबूल खडे है एवं शेष भूमि पडत भूमि है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को अस्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड एवं तथ्यों की जांच नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 923 दिनांक 20.11.1983 को निरस्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रेकर्ड एवं मौके पर कब्जे काश्त की जांच कर पुनः नए सिरे से नियमानुसार नामान्तकरण आदेश पारित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आंवटन की गई भूमि पर काश्त कर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तो उक्त आंवटन को निरस्त कराने की कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:18:20 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner